तरह-तरह के शुल्क बैंक customers से ले रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... सभी सरकारी और गैर-सरकारी बैंकों द्वारा, खास तौर से Private Banks द्वारा की गई, नोटबंदी के दौरान खुली लूट, सबने देखी। ...**(व्यवधान)**... क्या सरकारी और निजी बैंक जनहित के लिए हैं या जनता पर तरह-तरह के टैक्स लगाने या वसूलने के लिए हैं? ...**(व्यवधान)**... पैसे वाले जो अरबों का loan लेकर भाग जाते हैं, उन्हें दंडित करने की कोई व्यवस्था 70 सालों में हमने नहीं बनाई है। ...**(व्यवधान)**... इसी तरह भारतीय रेल में टिकटों के New Dynamic Pricing Model का हाल है। रेल टिकट महंगे हो गए हैं। ...**(व्यवधान)**... यही हाल भारत में चलने वाली Airlines का है। खास तौर से Private Airlines की हर चीज़, लगेज, refreshment आदि, जो न्यूनतम सुविधाएं अपेक्षित हैं, वह न दो, बेचो। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned up to 12.00 hours.

The House then adjourned at forty-one minutes past eleven of the clock.

The House reassembled at twelve of the clock.

MR. CHAIRMAN *in the Chair.*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Coverage of all crops under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana

*166. SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state:

(a) whether the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) is not available for perennial horticultural crops like apple, cardamom, etc.;

(b) if so, the details thereof along with the reasons therefor; and

(c) the steps taken by Government to extend benefits of the PMFBY to all crops, including perennial horticultural crops?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI RADHA MOHAN SINGH): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) is a yield based scheme and envisages coverage of food & oilseeds crops and annual commercial/horticultural crops for which yield data is available for sufficient number of years and the State Governments have the capacity to conduct requisite number of Crop Cutting Experiments (CCEs) to assess the yield loss. However, such perennial horticultural crops can be insured under

Restructured Weather Based Crop Insurance Scheme (RWBCIS) which is based on weather parameters instead of yield data. Further, crops and areas under the aforesaid schemes are notified by the concerned State/UT Governments.

(b) and (c) Perennial/horticultural crops like apple, cardamom etc. are not covered under PMFBY due to non-availability of statistically reliable methodology for assessment of yield of these crops.

The matter of inclusion of perennial/horticultural crops under yield based crop insurance schemes was examined by a Committee constituted by the Department in 2002 and few pilots were carried out but they were not successful and inclusion of perennial horticultural crops depends on development of a statistically reliable mechanism of yield estimation.

MR. CHAIRMAN: Question No. 166.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Sir, the hon. Minister has said in his reply that horticultural crops are not covered under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY), but that they could be insured under the Restructured Weather Based Crop Insurance Scheme. For some crops there is no crop insurance scheme at all. Why is there this difference and what are the reasons for this difference? There is a terrible anomaly between the two Insurance Schemes as a result of which there is tremendous confusion among the farmers and some of the State Governments have not taken up this Scheme at all. Could the hon. Minister kindly clarify what the reasons are for some of the States not taking up these schemes? Is there an intention of the Government to subsume both these schemes under one in order to reduce the confusion at the ground level for the farmers?

श्री राधा मोहन सिंह : महोदय, "प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना" और पहले की भी जो "कृषि फसल बीमा योजना" थी, उसके तहत जो उपज की फसलें हैं, उनके बीमा का प्रावधान है। इसमें यह तय करने का राज्य सरकार को अधिकार है कि उसके राज्य में किस-किस प्रकार की फसलें हैं, लेकिन वह उपज से संबंधित होनी चाहिए, चाहे वह वाणिज्यिक हो या बागवानी से संबंधित हो। जो दीर्घकालीन बागवानी है, उसके लिए मौसम आधारित बीमा योजना देश में चल रही है और कई राज्य सरकारें मौसम आधारित बीमा की तरह जो चिरस्थायी बागवानी है -- जैसा कि आपने सेब के विषय में सवाल पूछा है, तो पंजाब की सरकार ने सेब को मौसम आधारित बीमा योजना के तहत रखा है। इसी तरह, कई राज्यों ने ऐसा किया है। आप देखेंगी कि इस वर्ष आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने आम का बीमा भी मौसम आधारित बीमा योजना के तहत किया है। यह प्रावधान बहुत स्पष्ट है। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Just a minute, please. Yes; second question please.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Sir, I just want some clarity on this.

Under the PMFBY, you have given a subsidy of 90 per cent on the premium whereas under the RWBCIS, you have given a subsidy of just 50 per cent. दोनों में इतना फर्क क्यों है? क्या आपने यह सोचा कि अगर आप इतनी discrepancies रखेंगे, तो जो crops weather की वजह से affect होते हैं, उनकी क्या हालत होगी? There is 90 per cent subsidy being given under one scheme and 50 per cent in another. मुझे उसका clarification चाहिए।

श्री राधा मोहन सिंहः महोदय, "प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना" में जो प्रीमियम का रेट है, वही रेट मौसम आधारित बीमा योजना का भी है। दोनों के प्रीमियम में कोई अंतर नहीं है, जो संशोधित किया गया है। जब "कृषि फसल बीमा योजना" को संशोधित कर "प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना" लाई गई और प्रीमियम की दरें कम की गईं, तो जो मौसम आधारित बीमा योजना है, उसमें भी प्रीमियम की दर को कम कर दिया गया।

श्रीमती रेणुका चौधरीः मैं सब्सिडी के बारे में पूछ रही हूँ। आपके PMFBY में सब्सिडी अलग है और मौसम आधारित बीमा योजना में सब्सिडी अलग है। उनमें प्रीमियम एक ही है, लेकिन सब्सिडी में फर्क है। यही मैं पूछना चाहती हूँ।

श्री राधा मोहन सिंहः इसमें सब्सिडी नहीं दी जाती है, बल्कि इसमें मुआवजा दिया जाता है। जो cost of cultivation है, उसमें फसल बीमा योजना के तहत लागत की भरपाई की जाती है। पहले दोनों के अंदर एक capping थी, उस capping को भी हटा दिया गया है और यह कहा गया है कि cost of cultivation की पूरी भरपाई की जाएगी। यह संशोधित हुआ है।

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Sir,..

MR. CHAIRMAN: You can't have a discussion on this. You have asked a question and he has answered it. Now, Shri Sharad Yadav... ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Sir, I added to a question that I had already asked him. So, I am entitled to ask him to clarify.

MR. CHAIRMAN: If you are not satisfied, please follow the procedure. Shri Sharad Yadav. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: But, Sir, I have a second question.

MR. CHAIRMAN: You have asked two questions.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: No, Sir. It was not a question. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Then, please don't get into an argument. Please listen to the answer and if you want to ask your second question, please ask it.

SHRI JAIRAM RAMESH: What if he gives a wrong answer?

MR. CHAIRMAN: If a wrong answer is given, you know the procedures about it.

श्रीमती रेणुका चौधरीः सर, क्लाइमेट चेंज की वजह से ड्राउट होता है, साइक्लोन होते हैं और मानसून की डेफिशिएंसी भी होती है। इसकी वजह से नारियल जो आंध्र प्रदेश, केरल and all these States have been impacted. Not only that, इसमें अलग से बीमारी भी हो गई है जिसने नारियल को अफैक्ट किया है। इसकी वजह से nut production भी गिर गया है। हालांकि बच्चों को भी we give coconut water as oral rehydration. Now, coconut is covered under the Coconut Palm Scheme under which premium is determined on variability at the block level, which they are using since long, nut yield and the age of palm. These are very confusing factors to compute.

MR. CHAIRMAN: What is the question?

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: So, my question is: Will the hon. Minister take into consideration bringing this crop under PMFBY to facilitate coconut farmers?

श्री राधा मोहन सिंहः निश्चित रूप से इसमें यदि कोई विसंगति होगी तो हम दूर करेंगे।

श्री शरद यादवः श्रीमन्, जो फसल बीमा योजना है, उसमें किसान क्रेडिट कार्ड से बैंक से जो लोन लेते हैं, उसमें पैसा काट लेते हैं। जब फसल की बरबादी हो जाती है तो किसान को यह मालूम भी नहीं है कि किस इंश्योरेंस कम्पनी से लेना है। किस तरह से फसल बीमा या जो बरबादी हुई है, उसको कहां से लेना है? इस मामले में मैं आपसे अंत में एक ही बात पूछना चाहता हूं कि फसल बीमा पर किसान क्रेडिट कार्ड से, कोऑपरेटिव से कितना पैसा पूरे देश में भारत सरकार किसान से लेती है? कृषि मत्री जी से मैं कहूंगा कि मैं एक बड़े धरने में गया था। जब किसान की फसल या किसी तरह की बरबादी हो जाती है तो उसे मालूम ही नहीं है कि किससे क्या मिलेगा, कौन सी इंश्योरेंस कम्पनी से लेना है। यानी इंश्योरेंस कम्पनी और बैंक किसान से पैसा ले रहा है, लेकिन उनको वापस करने का काम नहीं कर रहा। इसलिए टोटल अमाउंट आप बताएं कि किसानों से कितना लेते हैं और किसानों को क्यों नहीं बतलाया जाता कि किस इंश्योरेंस कम्पनी से उनको लेना है? यानी, क्रेडिट कार्ड से जब पैसा काटते हैं तो इसके बाद उनको बताना चाहिए कि वे किससे लेंगे

श्री राधा मोहन सिंहः महोदय, यह जो कृषि बीमा योजना देश में चल रही थी, उसमें बहुत विसंगतियां थीं। उसको दूर करके पीछे खरीफ के सीज़न से इसको स्टार्ट किया गया है। पहले जो ऋण लेते थे, उनका प्रीमियम कटता था, तो 2015 की खरीफ में 3 करोड़ 9 लाख किसानों ने बीमा कराया था। इसमें मात्र 15 लाख किसान ऐसे थे जिन्होंने स्वेच्छा से अपने पैसे देकर बीमा कराया था, बाकी सब जो ऋण लेते थे, उनका उसमें कट जाता था। पहले इसमें आकर्षण नहीं था। बाहर के किसान जो ऋण नहीं लेते थे, वे फसल बीमा योजना में भाग नहीं लेते थे, क्योंकि इसमें कैपिंग थी। जब प्रधान मंत्री फसल बीमा कराया और इसमें सवा लाख किसान ऐसे थे जो गैर ऋणी थे। इसका मतलब यह है कि यह योजना एक आकर्षण योजना है, उसका एक उदाहरण है। दूसरा, बीमा कौन कम्पनी करे, किस-

किस फसल का बीमा हो, यह राज्य सरकार टेंडर करती है। 5 सरकारी कम्पनियां हैं, 10 प्राइवेट हैं और राज्य सरकार टेंडर करती है और जो भी इस टेंडर में शामिल होता है, तो राज्य सरकार जितना पारदर्शी तरीके से करती है, उतना यह अच्छा होता है। कई जगह देखा गया है कि जब यह नई फसल बीमा योजना लागू हुई, जिसकी अंतिम तिथि 30 तारीख है, चूंकि इस बीमा योजना से राज्य सरकार के खजानों पर बोझ बढ़ा है और भारत सरकार के खजाने पर भी, चूंकि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन पूरा देना है, तो कई राज्य सरकारों ने पहले तो न लागू करने की बात की। कई ने लागू किया तो जब अंतिम तारीख 30 है,तो वे 28 को नोटिफिकेशन करते हैं। अब दो दिन का समय है। निश्चित रूप से जिस कम्पनी को देगा, किसान को पहुंचना, सारी जानकारी देने में कठिनाई होती है। इसमें राज्य सरकार की जिम्मेदारी है,लेकिन फिर भी हमने सब की 10 दिन डेट भी बढ़ाई, ताकि अधिक से अधिक किसानों के पास राज्य सरकार जाए और राज्य सरकार के जो ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर कोऑपरेटिव, एग्रीकल्चर के अफसर होते हैं, पंचायत स्तर पर भी फार्मर्स फ्रेंड्ज़ होते हैं... उनके सहयोग से बीमा कम्पनियों से उनका संबंध बनता है, बैंकों से संबंध बनता है। हम इससे सहमत हैं कि कई राज्य सरकारों ने ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Please don't comment. ...*(Interruptions)*...

श्री राधा मोहन सिंहः कई राज्य सरकारों ने इसमें कम समय दिया, ताकि उनके राज्य के खजाने पर बोझ न पड़े, लेकिन ज्यों-ज्यों किसानों का दबाव बढ़जा जा रहा है, राज्य सरकारें भी अब इस दिशा में थोड़ा आगे बढ़ रही हैं। जहां तक प्रीमियम जितना लिया गया, इसका विवरण मैं निश्चित रूप से आपको दे दूंगा।

श्री शरद यादवः मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो बात कह रहे हैं, मैं उससे सहमत हूं, लेकिन यह तो पता चलना चाहिए कि जब किसान क्रेडिट कार्ड से या कोऑपरेटिव बैंक से उनका पैसा काटा जाता है, तब उसी समय उन्हें बताना चाहिए कि कौन सी इंश्योरेंस कम्पनी है, आपको कौन सा फसल बीमा मिलेगा। इसके संबंध में राज्य सरकारों से बात की जानी चाहिए। हमारा किसान आंदोलन चल रहा है, अलवर का चन्द्रशेखर महीनों से इसके लिए संघर्ष कर रहा है, इसलिए कम से कम यह तो पता चलना चाहिए कि आप जो पैसा काट रहे हैं तो कौन सी इंश्योरेंस कम्पनी उसको देगी?

श्री राधा मोहन सिंहः सर, पहली बार पिछली खरीफ में यह योजना शुरू हुई है और मैंने पहले भी बताया कि राज्य सरकारें अंतिम डेट के दो दिन पहले यदि नोटिफिकेशन करेंगी कि फलां कम्पनी इस जिले में जाएगी, तो दो दिनों में तो कठिनाई होगी ही, लेकिन फिर भी हमने दस दिन का समय बढ़ाया और हम राज्य सरकारों से लगातार यह आग्रह करते हैं, बैठक करते हैं कि आप लम्बा समय बहुत पहले ही डिक्लेयर कर दीजिए कि कौन सी कम्पनी किस जिले में बीमा करेगी, ताकि उन्हें पर्याप्त समय मिल सके, जानकारी मिल सके।

SHRI K.T.S. TULSI: Sir, according to the answer that is given, neither perennial nor horticulture crops like apple, cardamom, are covered by Bima Yojana. The answer further states that in 2002 there was a Committee which was appointed to go into the question of inclusion of these crops also under the Bima Yojana and it was not found to be feasible

in 2002. Are we to understand that since 2002 the present Government has taken no steps to include these crops, perennial as well as horticulture crops, in the Bima Scheme? Then what is the use of the Scheme?

श्री राधा मोहन सिंहः सर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि आप देखेंगे कि कर्णाटक ने 2016 में खरीफ में Tomato को भी मौसम आधारित बीमा योजना के अंतर्गत लिया है। इसी तरह से महाराष्ट्र ने प्याज को लिया है, मेघालय ने आलू का फसल बीमा किया है, तमिलनाडु ने आलू और Tapioca का किया है। इसी तरह से कर्णाटक ने Guava, Ginger, Acid Lime और कई बागवानी फसलों का बीमा किया है, आन्ध्र प्रदेश ने Tomato का किया है, Banana का किया है, Cashew का किया है, Mango का किया है। इस प्रकार ये सब इसमें शामिल हैं। जहां तक इलायची का सवाल है, मसाला बोर्ड के अंदर यह चर्चा चल रही थी कि जो मसाले काम में आते हैं, इनका भी बीमा शुरू होना चाहिए। अभी सितम्बर, 2016 में मसाला बोर्ड ने पायलट प्रयोग शुरू किया है और उस पायलट प्रयोग के तहत उसने चाय, कॉफी, रबड़, मसाला और छोटी तथा बड़ी इलायची का लगभग... उन जिलों की संख्या मुझे याद नहीं है क्योंकि यह वाणिज्यिक मंत्रालय का है ...**(व्यवधान)**... एक मिनट सर ...**(व्यवधान)**... तो मसाला बोर्ड ने सितम्बर 2016 से पायलट प्रयोग के रूप में Revenue Insurance Scheme for Plantation Crops नामक योजना शुरू की। इसके लिए ...**(व्यवधान)**... वह मैंने पहले बताया। देखिए, जो उपज है, उससे संबंधित जो अनाज है, बागवानी है, जो चिरस्थायी बागवानी है, इन सबका या तो प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत या मौसम आधारित बीमा योजना के तहत बीमा हो रहा है। हमने अभी पढ़कर भी बताया कि कौन-कौन से राज्य क्या कर रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Please, don't interrupt. ...*(Interruptions)*... राम नारायण जी, आप अपना सवाल पूछिए।

श्री राम नारायण डूडीः सभापति महोदय, अभी मंत्री जी फसल बीमा योजना के संबंध में उत्तर दे रहे थे। मैं मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि एक तो वह काश्तकार, जो लोन लेता है या किसी तरह से इंतज़ाम करता है और ऐसे काश्तकार हैं जो अलग से फसलों का बीमा कराते हैं। एक criteria कर दिया गया है कि individually यदि किसी के खेत में कोई नुकसान होता है तो उनको बीमा नहीं मिलता है, न कम्पनियां देती हैं। मैं यह practical बात कर रहा हूं। मंत्री जी, जैसे कोई नहर टूट गयी, उसकी वजह से फसल का सफाया हो गया, चाहे वह जीरा था, चाहे अजवाइन थी, चाहे मेथी थी, चाहे गेहूं था या कोई फसल थी, उस पर फसल बीमा लागू नहीं होता। जिन खेतों के अंदर सर्दी की वजह से फसल खराब हो जाती है, कुछ निश्चित एरिया में, तो ऐसे में भी बीमा कम्पनियां कहती हैं कि नहीं, नहीं वह तो पूरे गांव का क्राइटीएरिया है। जिस प्रकार से व्यक्ति का अपना बीमा होता है और उस व्यक्ति को बीमा का क्लेम मिलता है, उसी प्रकार से काश्तकार को व्यक्तिगत रूप से खेत का बीमा क्लेम करने का क्या कोई प्रावधान आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यह मैं पूछना चाहता हूं।

श्री राधा मोहन सिंहः सर, माननीय सदस्य का पुराना अनुभव ठीक है। मान लीजिए कि कोई ओलावृष्टि हुई और किसी गांव के चार खेत में ओला पड़ गया तो उस खेत के किसान को फसल बीमा

का लाभ नहीं मिलता था। बाढ़ आई और पांच किसान के खेत कट गए, कोई स्थानीय आपदा आई और एक गांव में कुछ किसानों का अधिक नुकसान हुआ, तो उनको फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलता था, लेकिन अभी जो नई फसल बीमा योजना आई है, उसके अंदर बिल्कुल साफ है कि स्थानीय आपदाओं में खेतबार का भी यदि अधिक नुकसान होता है, तो उसका बीमा दिया जाएगा। पूरे बीमा में यह भी व्यवस्था की गई है कि फसल कटने के बाद - पहले फसल कट गई और उसके बाद यदि आपदा आ गई, तो उसकी बीमा राशि नहीं मिलती थी, लेकिन अब फसल कटने के 14 दिन तक भी यदि कोई आपदा आती है और किसान का नुकसान होता है, तो उसका cost of cultivation दिया जाएगा, खेतबार भी और कटाई के बाद भी, इसकी नई प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में व्यवस्था कर दी गई है।

Effect of demonetisation on prices of agricultural produce

*167. SHRI RIPUN BORA: Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government is aware that due to demonetisation, farmers are compelled to sell their produce, particularly perishable items, at prices much below the cost of their production, due to non-availability of buyers;

(b) if so, the details thereof, State-wise;

(c) whether Government proposes to compensate the farmers who have suffered severe losses due to sale of their agricultural produce, including vegetables, at price much below the cost of production during the last three months; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI RADHA MOHAN SINGH): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The prices of agricultural commodities are determined by the market forces of supply and demand, quality of produce, seasonality etc. Production of most vegetable crops has increased in the current year resulting in the low prices of vegetables. There is no direct link between demonetization and prices of agricultural commodities. The cost of production and all India average monthly wholesale prices for major food grains and pulses including major horticulture items are given below:–